रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2014/आषाढ़ 26, 1936
No. 02] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2014/ASHADHA 26, 1936

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

अधिसूचना

कोलकाता, 11 जुलाई, 2014

सं. 784/सी-11021/2(सीवीसी)/2012-सतर्कता खण्ड-II.—सीवीसी कार्यालय आदेश 41/12/07, दिनांक 4 दिसम्बर, 2007, परिपत्र सं. 24/8/08, दिनांक 5 अगस्त, 2008, परिपत्र सं. 10/05/2009, दिनांक 18-05-2009 तथा वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या 14(12)/2008-ई-II(ए), दिनांक 19 जुलाई, 2011 में निहित उपबंध के अनुसरण में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार का संबद्ध कार्यालय का प्रमुख प्रापण गतिविधियों में अखंड समझौते की संकल्पना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. खान मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22/7/2011-आईपी, दिनांक 01 अगस्त, 2012 के अनुसरण में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में प्रापण लेन-देन/संविदा हेतु ऊपरी जिसमें प्रयुक्त होने वाले अखंड समझौते का प्रारम्भिक मूल्य एक करोड़ रुपये होगा |

3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की संस्तुति के अनुसरण में, जैसा कि दिनांक 23-06-2014 का पत्र सं. 012/वीजीएल/091/250620 द्वारा सूचित किया गया है, श्री अरूण कुमार भट्टाचार्य, आईएएस (सेवानिवृत्त) को भाभूस कार्यालय ज्ञापन सं. 704/सी-11021/2(सीवीसी)/2012-सतर्कता खंड-II, दिनांक 08-07-2014 के माध्यम से स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक (आईईएम) के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है | श्री भट्टाचार्य की नियुक्ति स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए है |

डॉ. सुदेश कुमार वधावन, महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

NOTIFICATION

Kolkata, the 11th July, 2014

No. 784/ C-11021/2(CVC)/2012-Vig. Vol.-II.—In pursuance of the provisions contained in the CVC Office Order 41/12/07, dated 4th December, 2007, Circular No. 24/8/08, dated 5th August, 2008, Circular No. 10/05/2009, dated 18-05-2009 and Ministry of Finance, Department of Expenditure, OM No. 14(12)/2008-E-II(A), dated 19th July, 2011, it has been decided to implement the concept of Integrity Pact in major procurement activities of the Geological Survey of India (GSI), an Attached Office of the Ministry of Mines, Government of India, with immediate effect.

2. In pursuance of the Ministry of Mines OM No. 22/7/2011-IP, dated 1st August, 2012, threshold value above which the Integrity Pact would be used for procurement transaction/contract in GSI will be ₹ 1 Crore.

3. In pursuance of the recommendation of the Central Vigilance Commission (CVC), as conveyed *vide* its letter No. 012/VGL/091/250620, dated 23-06-2014, Shri Arun Kumar Bhattacharya, IAS (Retd.) has been appointed as Independent External Monitor (IEM) of GSI with immediate effect *vide* GSI Memo No. 704/C-11021/2(CVC)/2012-Vig. Vol.-II, dated 08-07-2014. The appointment of Shri Bhattacharya, as IEM is initially for a period of three years.

Dr. S. K. WADHAWAN, Director General, GSI

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.